

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या
11/17/2023

रजि0 नम्बर
2023/282

प्रवेश तिथि
17.05.2023

निर्णय दिनांक
18.12.2024

1. नाथूराम पुत्र भगवान सहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण,
2. बनवारीलाल पुत्र भगवान सहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम ग्वाडा भोपाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर

—रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 397
निर्णय दिनांक 18.03.2023 ग्राम
ग्वाडा भोपाला तहसील थानागाजी
जिला अलवर।

उपस्थित:-

01—श्री मुकेश कुमार शर्मा

—वकील अपी0

02—श्री राजकीय अभिभाषक

—वकील रेस्पो0

निर्णय:-

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 397 निर्णय दिनांक 18.03.2023 ग्राम ग्वाडा भोपाला तहसीलदार थानागाजी द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत को रिफॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार थानागाजी ने कथित इन्तकाल अपीलाण्ट्स के बाला-बाला इकतरफा में स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। कानूनन कोई इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को नोटिस दिया जाना व सर्वसाधारण को उजदारी प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था। किन्तु साहब तहसीलदार थानागाजी ने बिना प्रोसीजर को अपनाये हुए उक्त इन्तकाल स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है और निरस्त फरमाये जाने योग्य है। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जिस कथित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कैम्प प्रभारी कैम्प ग्वाडा भोपाला दिनांक 23-12-2021 के आधार पर उक्त इन्तकाल स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया है, वह आज्ञा अपीलाण्ट्स के बाला-बाला इकतरफा में पारित किया गया है जिसकी बाबत अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो सकी और अब जानकारी होने पर उक्त आदेश के खिलाफ अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। तहसीलदार थानागाजी द्वारा अपीलाण्ट्स की खातेदारी की आराजी में से 0.01 भूमि की बाबत जो गैर मुमकिन रास्ता का इन्तकाल स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया है वह अस्पष्ट है। कथित 0.01 भूमि मौके पर कभी भी बतौर रास्ते के कायम नहीं हुई और ना कभी कोई भूमि बतौर रास्ते के काम में आई और ना कभी किसी ग्रामवासी ने उपरोक्त 01 ऐयर भूमि को बतौर रास्ते के उपयोग व उपभोग किया और ना ही मौके पर कोई रास्ता जारी है, किन्तु उसके बाद भी उपरोक्त 01 ऐयर भूमि का जो इन्तकाल बतौर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है वह मौके व कब्जे के खिलाफ होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 397 ग्राम ग्वाडा भोपाला तहसील थानागाजी निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त 01 ऐयर भूमि को अपीलाण्ट की खातेदारी में वापिस दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे। अपी0 वकील द्वारा अपने समर्थन में नजीरें 2023(2) RRT 1169, 2016(2) RRT 1281, 2023(2)

आ. 18/15/2023 (प्रथम)
रजि. 2023/282

RRT 1165, 2023(1) RRT 486, 2022-23(Supp.) RRT 282, 2019(1) RRT 403, 2022(2) RRT 1096, 2018(1) RRT 574, 2017(1) RRT 342, 2017(1)n RRT 423, 2016-17(Supp.) RRT 597, 2016-17(Supp.) RRT 677, 2018(2) RRT 1193, 2017(2)RRT 789, 2017(2) RRT 1088, 2016(1) RRT 440, 2016(2) RRT 815 पेश की हैं।

रेस्पोंड की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकूलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी (भू.अ.) द्वारा स्वीकृत इन्तकाल व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 171 रकबा 0.38 है किस्म जामबंदी (खतौनी) के अनुसार चाही उत्तम दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय के आदेश अनुसार इंतकाल स्वीकृत कर आराजी खसरा नंबर 529/171 रकबा 0.37 है किस्म चाही उत्तम व 530/171 रकबा 0.01 है का इन्तकाल गैर-मुमकिन रास्ते के रूप में स्वीकृत किया गया है, जो न्यायालय के आदेश से किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील इंतकाल संख्या 397 दिनांक 18.03.2023 की गयी है जो उचित प्रतीत नहीं होती है। अपील को न्यायालय के आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः इस न्यायालय का पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 397 दिनांक 18.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का आदेश इंतकाल संख्या 397 दिनांक 18.03.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)